सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–21.07.2026 (मंगलवार) को अपराह्न 4:00 बजे सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार के साथ माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित अवमाननावादों की V.C. के माध्यम से आहूत समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

अपर समाहर्त्ता, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल एवं वैशाली **ससमय** उपस्थित।

अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मधेपुरा एवं पश्चिम चम्पाारण **विलम्ब** से उपस्थित।

अपर समाहर्त्ता, कैमूर, पूर्णियाँ एवं शिवहर अनुपस्थित।

विभागीय **पत्रांक–493 दिनांक–16.07.2026** के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित अवमाननावादों की सूची उपलब्ध कराते हुए एक सप्ताह के अन्दर कारण–पृच्छा दायर कर ओथ सं0 एवं तिथि CCMS Portal पर अपलोड करने एवं संबंधित प्रतिवेदन विभाग को भेजते हुए विभाग द्वारा V.C. के माध्यम से आयोजित बैठक में भाग लेने हेतु निदेशित किया गया था।

जिलों से प्राप्त प्रतिवेदनों के समीक्षोपरान्त निम्नांकित अवरोही क्रम में लंबित अवमाननावाद पाये गये :–

SL.No.	Name of District	जिलों से प्राप्त अद्यतन लंबित एम0जे0सी0 वादों की सं0
1	*2*	*3*
1	Patna	94
2	East Champaran	57
3	Muzaffarpur	34
4	Gaya	33
5	Sitamarhi	27
6	Rohtas	26
7	Samastipur	20
8	Jehanabad	18
9	Katihar	16
10	Aurangabad	14
11	Darbhanga	13
12	Siwan	12
13	Madhubani	11
14	Begusarai	9
15	Bhojpur	7

16	Gopalganj	7
17	Nawada	7
18	Buxar	6
19	Araria	5
20	Arwal	5
21	Bhagalpur	5
22	Supaul	5
23	West Champaran	5
24	Banka	3
25	Jamui	3
26	Lakhisarai	3
27	Munger	3
28	Purnea	3
29	Vaishali	3
30	Kaimur	2
31	Khagaria	2
32	Madhepura	2
33	Sheikhpura	2
34	Kishanganj	1
35	Saharsa	1
36	Sheohar	1
37	Nalanda	0
38	Saran	0
	Total=	465

माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित अवमाननावादों जिसमें पटना, पश्चिम चम्पारण, मुजफ्फरपुर, गया, सीतामढ़ी, रोहतास, समस्तीपुर, जहानाबाद, कटिहार, औरंगाबाद, दरभंगा, सीवान, मधुबनी जिलों में काफी संख्या में कारण–पृच्छा दायर किये जाने हेतु लंबित है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना में ससमय प्रतिशपथ पत्र/कारण–पृच्छा दायर नहीं किये जाने के फलस्वरूप कतिपय मामलों में विभाग को उच्च अधिकारियों को सशरीर उपस्थिति/अर्थदण्ड जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है एवं वादों की संख्या में वृद्धि के कारण संसाधनों का भी अपव्यय होता है, जो खेदजनक है।

लंबित अवमाननावादों में माननीय न्यायालय में कारण–पृच्छा दायर करने के संबंध में अपेक्षित सुधार हेतु निम्नांकित निदेश दिये गये :–

1. V.C. बैठक में विलम्ब से उपस्थिति होने वाले अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मधेपुरा एवं पश्चिम चम्पारण को इस हेतु कारण–पृच्छा निर्गत किया जाय एवं अनुपस्थित अपर समाहर्त्ता, कैमूर, पूर्णियाँ एवं शिवहर से भी उनकी अनुपस्थिति के संबंध में कारण–पृच्छा की जाय।

2. विभिन्न निदेशों के बावजूद दिनांक–20.07.2026 के बाद विलम्ब से प्रतिवेदन भेजने वाले अपर समाहर्त्ता, अररिया, बेगूसराय, भागलपुर, जहानाबाद, किशनगंज, नवादा एवं सहरसा से विलम्ब से प्रतिवेदन भेजने के संबंध में कारण–पृच्छा निर्गत किया जाय।

3. समीक्षा के क्रम में कतिपय जिलों के अपर समाहर्त्ता द्वारा कतिपय अवमाननावाद के मामले अन्य जिलों से संबंधित होने की जानकारी दी गयी। उक्त के आलोक में संबंधित जिलों को अपने स्तर से मामलों को प्रेषित करते हुए उक्त की सूची विभाग को उपलब्ध कराये।

4. अपर समाहर्त्ता, शिवहर से भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के अनधिकृत रूप में बिना प्राधिकृत पत्र के समीक्षात्मक V.C. बैठक में उपस्थिति के संबंध में कारण–पृच्छा निर्गत किया जाय।

5. माननीय उच्च न्यायालय में अपने जिले से प्रदर्शित उपरोक्त अवमाननावादों में महाधिवक्ता कार्यालय के संबंधित अधिवक्ताओं से सम्पर्क स्थापित कर अविलम्ब कारण–पृच्छा दायर कर उसकी ओथ सं0 एवं तिथि CCMS Portal पर अपलोड करना सुनिश्चित करते हुए शून्य प्रतिवेदन विभाग को दिनांक–27.07.2026 तक उपलब्ध कराया जाय।

6. माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित सी0डब्लू0जे0सी0/एल0पी0ए0 मामलों में प्रतिशपथ पत्र दायर कर संबंधित प्रतिवेदन CCMS Portal पर अपलोड करते हुए तत्संबंधित प्रतिवेदन दिनांक–21.08.2026 तक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जाय।

7. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा विभाग से संबंधित मामलों में यदि प्रतिकूल आदेश या टिप्पणी की जाती है तो संबंधित पदाधिकारी/कर्मी की जवाबदेही तय करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय/अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की जायेगी।

8. विद्युत व्यवधान के कारण शेष जिलों से लंबित अवमाननावादों के संबंध में समीक्षात्मक बैठक बाधित हुई।

उक्त निदेशों के साथ बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की जाती है।

(सीमा त्रिपाठी)
सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :–11 / विधि–137 / 2025 ...517...(11) / रा0, पटना–15, दिनांक–23/07/2026

प्रतिलिपि :– महाधिवक्ता कार्यालय, माननीय उच्च न्यायालय, पटना / अवर सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/07/26

(मणि भूषण किशोर)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :–11 / विधि–137 / 2025 ...517...(11) / रा0, पटना–15, दिनांक–23/07/2026

प्रतिलिपि :– सचिव के प्रधान आप्त सचिव / सचिव (श्रीमती सीमा त्रिपाठी) के आशुलिपिक / विशेष कार्य पदाधिकारी (कनीय प्रभार, प्रशाखा–11) / श्री अशोक कुमार शर्मा, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी (मुख्यालय), पटना / श्री अरविन्द कुमार, अवर सचिव / श्री राजीव पाण्डेय, अवर सचिव / सुश्री श्रुति गोस्वामी, विधि पदाधिकारी / श्री यश राज, विधि सहायक एवं प्रशाखा–11 / सभी पदाधिकारी / कर्मी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/7/26

(मणि भूषण किशोर)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :–11 / विधि–137 / 2025 ...517...(11) / रा0, पटना–15, दिनांक–23/07/2026

प्रतिलिपि :–सभी समाहर्त्ता / सभी अपर समाहर्त्ता / सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता / सभी अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/07/26

(मणि भूषण किशोर)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

D:\Sec-11\2026\Proceedings.doc